रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 1993/श्रावण 27, 1915
No. 31] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 1993/SRAVANA 27, 1915

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1993

सं. एफई/101/5/93:—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 1992 के नियम 2 के खंड (ख) के अनुसरण में, बोर्ड उसके कार्यपालक निदेशकों और जनरल काउंसेल तथा बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी जो ऐसे निदेशकों या काउंसेल द्वारा उनके लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, नियुक्त करता है।

जी.वी. रामकृष्णण, अध्यक्ष
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Investment Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1993

No. LE|101|5|93.—In pursuance of clause (b) of rule 2 of the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Central Government) Rules, 1992, the Board hereby appoints its Executive Directors and General Counsel, and any other officer of the Board authorised by such Directors or Counsel to act on their behalf, as the authorised representatives for the purposes of the said clause.

G. V. RAMAKRISHNA, Chairman

Securities and Exchange Board of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993